प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरमः **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं**

माननीय श्री आर एन चंद्राकर, न्यायमूर्ति

विविध अपील (सी) क्रमांक 849 सन् 2010

अपीलार्थीगण

1.रूपचंद्र पांडे,

उम्र लगभग 50 वर्ष

पिता- दलगंजन पांडे

निवासी-चांपा बाई पास रोड

जांजगीर(मृत)

2.श्रीमती सरोजनी देवी पांडे

उम्र लगभग 45 वर्ष

पति- रूपचंद्र पांडे

निवासी-चांपा बाई पास रोड

जांजगीर नीलकमल कैसेट भंडार

जांजगीर,

जिला- जांजगीर चांपा

छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण

1.उमाशंकर शुक्ला

पिता- जी पी शुक्ला

निवासी- वर्धमान कॉलोनी

जगदलपुर, जिला- बस्तर,

झंकार टॉकीज़ के निकट

2.ओंकारदार मानिकपुरी

पिता- लैनदास मानिकपुरी

चिंगराजपारा, बिलासपुर,

छत्तीसगढ़

3.द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमि.

जगदलपुर, जिला- बस्तर,

छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत अपील का ज्ञापन

उपस्थित : श्री ओम पी. साहू, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता

श्री सुधीर अग्रवाल व श्री पी. दत्ता, प्रत्यर्थी क्र.3 के अधिवक्ता

आदेश

(दिनाँक 18 नवंबर, 2011)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **मुख्य न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता** द्वारा उद्घोषित किया गया-

1. मृतक गजेंद्र पांडेय के दुर्भाग्यशाली माता-पिता इस अपील में द्वितीय अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जांजगीर (संक्षेप में अधिकरण) द्वारा दावा प्रकरण क्र. 31/2009 में पारित दिनांक 07.10.2009 के अधिनिर्णय के तहत प्रदत्त प्रतिकर की राशि को वृद्धि हेतु अपीलकर्ता हैं।

2. दावाकर्ताओं, मृतक गजेंद्र पांडेय के माता-पिता, द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दिनांक 01.07.2008 को हुई मोटर दुर्घटना में उसकी मृत्यु के लिए रु. 50,00,000/- हेतु दावा याचिका दायर करने के विरुद्ध, अधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक @ 6% प्रति वर्ष के ब्याज के साथ कुल ₹1,09,500/- का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अधिकरण ने समस्त साक्ष्य की सूक्ष्म जाँच के पश्चात् यह माना कि दावाकर्ताओं के पुत्र गजेंद्र पांडेय की मृत्यु दिनाँक 01.07.2008 को मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी; यह दुर्घटना उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने वाले टैंकर, जिसका पंजीकरण संख्या सीजी-17 एच/1106 है; जैसा कि उक्त दुर्घटनाकारी वाहन दुर्घटना की तारीख को टैंकर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा बीमित था और बीमा कंपनी पॉलिसी की किसी भी शर्त का उल्लंघन स्थापित नहीं कर सकी, इसलिए बीमा कंपनी दावाकर्ताओं को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी थी।

4. चूंकि प्रत्यर्थीगण ने अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की, अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अब अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं।

5. अधिकरण ने मृतक की आय ₹20,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50% यानी ₹20,000/- की कटौती करते हुए, दावाकर्ताओं की वार्षिक आश्रितता ₹10,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की गई। वार्षिक आश्रितता ₹10,000/- को 10 के गुणक से गुणा करने पर, प्रतिकर की राशि ₹1,00,000/- निर्धारित की गई। अन्य शीर्षों के तहत ₹9,500/- की अतिरिक्त राशि अधिनिर्णित करते हुए, अधिकरण ने मोटर दुर्घटना में उनके पुत्र गजेंद्र पांडेय की मृत्यु के लिए कुल ₹1,09,500/- का प्रतिकर दावाकर्ताओं को अधिनिर्णीत किया। अधिकरण ने आगे निर्देश दिया कि उक्त ₹1,09,500/- की प्रतिकर राशि पर दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक @ 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्री ओम पी. साहू, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने मृतक की आय को स्वीकार न करने और उसकी आय का मूल्यांकन केवल ₹20,000/- प्रति वर्ष करने में त्रुटि की है; उसकी व्यक्तिगत खर्चों की ओर 50% आय की कटौती करने में; 10 के गुणक का चयन करने में; और केवल ₹1,09,500/- का कम प्रतिकर अधिनिर्णीत करने में त्रुटि की है।

7. दूसरी ओर, दुर्घटनाकारीत करने वाला वाहन टैंकर के बीमाकर्ता प्रत्यर्थी क्र. 3 न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर अग्रवाल व श्री पी. दत्ता ने, अधिनिर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ₹1,09,500/- का प्रतिकर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित प्रतिकर है।

8. मोटर दुर्घटना दावा मामले में यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा प्रतिकर का अधिनिर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित होना चाहिए। यह प्रतिकर की राशि न तो अल्प होनी चाहिए और न ही अत्यधिक।

9. अब, हम यह जांचेंगे कि क्या अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ₹1,09,500/- का प्रतिकर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित प्रतिकर है।

10. यह सही है कि दावाकर्ताओं ने निवेदन किया था कि उनका पुत्र गजेंद्र पांडेय ₹60,000/- प्रति वर्ष कमाता था, किंतु मृतक की आय को ₹60,000/- प्रति वर्ष तक स्थापित करने के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए, हम मृतक की आय के संबंध में दावाकर्ताओं के साक्ष्य को ख़ारिज करने के अधिकरण के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. फिर भी, अधिकरण द्वारा वर्ष 2008 में मृतक की आय का मूल्यांकन ₹20,000/- प्रति वर्ष निचले स्तर का है और निश्चित रूप से पुनर्विचार की आवश्यकता है।

12. अधिकरण को, दावाकर्ताओं के आय के संबंध में साक्ष्य को ख़ारिज करते हुए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के तहत दूसरी अनुसूची में निर्धारित अनुमानित आय के आधार पर उसकी आय का मूल्यांकन करना चाहिए था।

13. अधिनियम की धारा 163-ए जहाँ प्रतिकर के संरचित सूत्र के आधार पर भुगतान के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जो वर्ष 1994 में अंत:स्थापित की गई थी, इस प्रकार है:

> "**163A. संरचित सूत्र (structured formula) के आधार पर प्रतिकर के भुगतान के संबंध में विशेष उपबंध— (1)** इस अधिनियम या

किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि, बल रखने वाले प्रपत्र या लिखत में किसी बात के होते

हुए भी, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, उसकी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के मामले में, मोटर यान के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण, जैसा कि दूसरी अनुसूची में उपदर्शित है, विधिक वारिसों या पीड़ित को, जैसा भी मामला हो, प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी निःशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार होगा जो श्रमिक प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी भी दावे में, दावेदार को यह अभिवचन करने या स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि वह मृत्यु या स्थायी निःशक्तता, जिसके संबंध में दावा किया गया है, मोटर यान या संबंधित यानों के स्वामी या चालकों या किसी अन्य व्यक्ति के किसी सदोष कार्य या उपेक्षा के कारण हुई थी।

(3) केंद्र सरकार, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जीवन निर्वाह लागत को ध्यान में रखते हुए, दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अधिनियम की धारा 163-ए की उपरोक्त उप-धारा(3) केंद्र सरकार को समय-समय पर जीवन निर्वाह लागत को ध्यान में रखते हुए दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

15. चूंकि केंद्र सरकार, अधिनियम की धारा 163-ए की उप-धारा (3) में यथा-उपबंधित दूसरी अनुसूची में संशोधन करने में विफल रही है, इसलिए न्यायालय/अधिकरण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और दी गई मामले में वर्ष 1994 में दूसरी अनुसूची के लागू होने और दुर्घटना की तारीख के दौरान जीवन निर्वाह लागत की न्यायिक अवेक्षा कर सकते हैं।

16. अब, वर्तमान मामले पर लौटते हुए, मृतक गजेंद्र पांडेय, जिसके संबंध में दावाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है, की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना वर्ष 2008 में हुई थी। यदि वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है और वर्ष 2008 में (दुर्घटना की तारीख पर) विचार किया जाता है, तो द्वितीय अनुसूची में निर्धारित ₹15,000/- की कल्पित आय वर्ष 2008 में ₹36,000/- हो जाएगी। इसलिए, हम मृतक की आय ₹36,000/- प्रति वर्ष मानते हुए प्रतिकर की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. यह मानते हुए कि दुर्घटना की तारीख पर गजेंद्र पांडेय अविवाहित था और दावाकर्ता उसके माता-पिता हैं, हमें सर्वोच्च न्यायालय के **सैयद बशीर अहमद एवं अन्य बनाम मोहम्मद जमील एवं अन्य (2009) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 225** और **सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य (2009) 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस 121** के मामलों में दिए गए निर्देशों के आलोक में मृतक के व्यक्तिगत खर्चों की ओर 50% आय की कटौती करना उचित लगता है । दावाकर्ताओं की आश्रितता, इसलिए, मृतक के व्यक्तिगत खर्चों की ओर ₹36,000/- का 50% कटौती करके ₹18,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है।

18. अधिकरण द्वारा 10 के गुणक का चयन करना निर्दोष पाया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के **मुनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ ग्रेटर बॉम्बे बनाम लक्ष्मण अय्यर एवं अन्य के मामले (2003) 8**

एससीसी 731 में दिए गए निर्देश के आलोक में, जहाँ यह माना गया था कि उन मामलों में जहाँ दावाकर्ता मृतक के माता-पिता हैं, गुणक कभी भी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए।

19. ₹18,000/- की वार्षिक आश्रितता को 10 के गुणक से गुणा करने पर, प्रतिकर ₹1,80,000/- बनता है। दावाकर्ता आगे अंतिम संस्कार के खर्चों की ओर ₹5,000/- और संपत्ति की हानि की ओर ₹5,000/- प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार, दावाकर्ता मोटर दुर्घटना में अपने पुत्र गजेंद्र पांडेय की मृत्यु के लिए कुल ₹1,90,000/- का प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

20. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि किसी भी संभावित विवाद से बचने के उद्देश्य से, उस अवधि के संबंध में जिसके लिए दावाकर्ता बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं, ब्याज की राशि को इस अपील में ही निर्धारित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करते हुए, जिनमें दावा याचिका के निपटान में देरी तथा वर्तमान अपील व यह तथ्य सम्मिलित है कि केवल बीमा कंपनी ही पूरे विलंब के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, हम बढ़ी हुई प्रतिकर राशि ₹80,500/- पर ब्याज की राशि ₹9,500/- पर ब्याज की मात्रा निर्धारित करते हैं।

22. उपरोक्त कारणों से, प्रतिकर की वृद्धि के लिए अपीलकर्ताओं/दावाकर्ताओं द्वारा दायर अपील आंशिक स्वीकृत की जाती है। अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ₹1,09,500/- का प्रतिकर ₹1,90,000/- तक बढ़ाया जाता है, जिसमें बढ़ी हुई प्रतिकर राशि ₹80,500/- पर ₹9,500/- का ब्याज भी सम्मिलित है।

23. प्रत्यर्थी क्र. 3 न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दावा अधिकरण के समक्ष कुल राशि ₹90,000/- (रुपये नब्बे हज़ार मात्र) [(₹80,500/- बढ़ी हुई प्रतिकर राशि + ₹9,500/- बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर ब्याज)] को जमा करने के लिए तीन माह का समय दिया जाता है।

24. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षरित
मुख्य न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित
आर एन चंद्राकर
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv Neeta Verma